रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 944] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2009/ज्येष्ठ 28, 1931
No. 944] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2009/JYAISTHA 28, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2009

का.आ. 1515(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1585(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2005, द्वारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 17.756 कि.मी. से 63.000 कि.मी. (आगरा-भरतपुर सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 18.00 कि.मी. से 63.000 कि.मी. (आगरा-भरतपुर सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान दो लेन वाली सड़क को चार लेन की सड़क बनाने, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स ओरियन्टल पाथवेज (आगरा) प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 21 कामर्शियल काम्पलेक्स, मालचा मार्ग, डिपलोमेटिक इन्कलेव, नई दिल्ली-110021 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अन्तर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस दरों पर फीस उद्ग्रहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात् हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान (प्रति कि.मी. आधार दर पर फीस)
(1.)	(2.)	(3.)
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	0.70
3.	ट्रक, बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय)	2.25
5.	अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिमार्ण मशीनरी यान	3.30

टिप्पण:-

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-

(क) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के उपयोक्ताओं से निम्नलिखित के आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) इसकी लम्बाई किलोमीटर में ; और

(ख) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथादर्शित आधार दर पर फीस

और जो एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ख) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त सेक्शन के पूरा होने पर, स्वतंत्र परामर्शी द्वारा यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(ग) 'दिन' से 24 घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है ।

(घ) "स्थानीय वाणिज्यक यातायात" से ऐसा वाणिज्यक यान अभिप्रेत है, जिसके अतर्गत बस,ट्रक या हल्के मोटर यान या टैक्सी भी है जो यात्रियों को लाने या ले जाने में लगी है, जो उक्त सेक्शन पर एक से अधिक पथकर प्लाजा को पार किए बिना नेमी रूप से चलने के लिए रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं ।

(ङ) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसे निजी यान अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत सारणी में क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का निजी यान भी है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं जो सामान्यता ऐसे स्थान पर निवास करता हो या कार्य करता है जहाँ सामान्यता उक्त सेक्शन के केवल एक भाग का उपयोग करके पहुँचा जा सकता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने कार्य स्थल या निवास से आने या जाने के सामान्य अनुक्रम मे उक्त सेक्शन के किसी भाग पर यात्रा करने के लिए ऐसे यान का उपयोग करना अपेक्षित है।

(च) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(छ) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त खंड के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, में हैं ।

2. फीस संग्रहण पथकर प्लाजा 30.300 कि.मी. पर स्थित होगा ।

3. वास्तविक फीस तथा उसका पुनरीक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी होगा कि संगणना निम्नानुसार की जाएगी:-

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{थो.की.सू. ख}}{\text{थो.की.सू. क}} \times \text{उक्त खंड की लम्बाई (कि.मी. में)}$$

<u>जहां</u>

(i) थो.की.सू. क जून 1997 को थोक कीमत सूचकांक है ;

(ii) थो.की.सू. ख = पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक है।

4. जब किसी यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट आधार दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे या जहाँ ऐसा यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो उपयोक्ता उक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट दर के तीस गुना दर पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

परन्तु उपरोक्त रियायत स्थानीय यातायात पर लागू नही होगा।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संगृहीत नही की जाएगी, अर्थात:-

(क) ऐसे यान -

(i) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(ii) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ख) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।

(ग) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्त्तव्यारूढ़ यान ।

6. रियायतग्राही निम्निलिखित दरों से अधिक कोई फीस स्थानीय यातायात से वसूल नहीं करेगा अर्थात्:-

विवरण	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग यानो पर लागू रियायती फीस का प्रतिशत
(i) स्थानीय निजी यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का 25 प्रतिशत
(ii) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का 50 प्रतिशत

परन्तु, जहां स्थानीय यातायात मुक्त उपयोग के लिए पृथक सेवा लेन उपलब्ध है , वहां रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत तभी करेगा यदि वे उक्त सेक्शन का उपयोग करते है ।

7. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख भी है कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले प्रकाशित करेगा ।

8. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो रियायतग्राही के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नही हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोक्ताओं को और उससे संबंधित विषयों के लिए असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है ।

9. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी और पथकर प्लाजा से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजा से 100 मी. आगें और पथकर प्लाजा पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सकें ।

10. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्रप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टीका टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्प्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी ।

[फा. सं. एन एच ए आई/13013/456/08-09/सी. ओ./जीसी दोसा (आगरा-भरतपुर) बीओटी]

एस. नरेन्द्र, निदेशक, पी.पी.पी.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2009

S.O.1515(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1585 (E), dated the 10th November, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government had entrusted the stretch from Km. 17.756 to Km. 63.000 (Agra - Bharatpur section) of the National Highway No. 11 in the State of Uttar Pradesh and Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Oriental Pathways (Agra) Pvt. Ltd. having its registered office at 21, Commercial Complex, Malcha Marg, Diplomatic Enclave, New Delhi-110021 (hereinafter referred to as the Concessionaire) *inter alia* for the development , operation and maintenance of the existing two lane road into four lane road from Km 18.00 to Km. 63.00 (Agra-Bharatpur section) of the National Highway No. 11 in the State of Uttar Pradesh and Rajasthan (hereinafter referred to as the said section);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby levies fee at the base rate specified in column (3) of the following Table, on the category of vehicles specified in column (2) thereof, for the use of the said section and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:-

Table

S. No.	**Category of Vehicles**	**Fee at the base rate per kilometer per vehicle for one way trip (in rupees)**
(1)	(2)	(3)
1	Car, passenger van or jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles	0.70
3	Truck, Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25
5	Earth moving equipment and heavy construction equipment.	3.00

Notes:-

1. For the purposes of this notification,-

(a) "actual fee" means the fee actually charged from the users of the said section on the basis of-

(i) its length in kilometers; and
(ii) fee at the base rate as shown in column (3) of the above Table,

and shall be rounded off to nearest one rupee;

(b) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion

certificate, as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(c) "day" shall mean a continuous period of twenty-four hours;

(d) "local commercial traffic " means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxies engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section without crossing more than one of the toll plazas;

(e) "local personal traffic" means and includes a personal vehicle of the category specified against S.No. 1 in the table above which is registered with the Concessionaire by a person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section and such person is, therefore, required to use such vehicle for commuting on a part of the said section without crossing more than one plaza, in the course of normal travel to and from his place of work or residence.

(f) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(g) words and expressions used herein and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.

2. The fee shall be collected from toll plaza located at km 30.300.

3. The actual fee and revision thereof effective from the 1st September every year shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the said section in kilometer}$$

where -

(i) WPI-A is the Wholesale Price Index as on June, 1997;

(ii) WPI-B is the Wholesale Price Index available for the end of the preceding financial year .

4. When the same vehicle has to cross the said section more than once in a day , the user shall have the option to pay fee for multiple trips at the rate one and half times the rate specified in column(3) of the above Table while crossing the toll plaza in the first trip itself, or where such vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month, the user may have a monthly pass at the rate thirty times the rate so specified:

Provided that such concession is not available to the local traffic.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(a)Vehicles-

(i) having VIP symbols or officially belonging to-

(A) the President of India;

(B) the Vice-President of India;

(C)the Governor of a State and the Lt. Governor of a Union territory;

(D) a Foreign dignitary on State visit to India;

(E) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;

(F) the Chairman of Rajya Sabha or the Speaker of Lok Sabha or the Chairman of State Legislative Council or the Speaker of State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State or the Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or

(G) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(ii) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(b) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);

(c) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

6. Concessionaire shall not collect fees from local traffic in excess of the following discounted rates:

Particulars	Percentage of discounted fee for the specified category of vehicle.
(i) Local Personal Traffic	25%
(ii) Local Commercial Traffic	50%

Provided that where a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic only if they use the said section.

7. The concessionaire shall publish substance of this notification including the date of commercial operation in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language) at least ten days prior to the date of commercial operation and also ten days prior to giving effect to revised fee.

8. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire as well as the said officer shall be jointly and severally responsible for ensuring that fee is collected at the specified rates smoothly, without causing undue hardship to the road users and also for all matters connected therewith.

9. The rate of fee, the category of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll plaza, 100 meters ahead of the toll plaza and at the toll plaza also, the height of display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

10. The actual fee to be charged from users shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/456/08-09/CO/GC Dausa (Agra-Bharatpur) BOT]

S. NARENDRA, Director (PPP)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.